**न्यायालयः <u>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर (राज.)</u>**

पीठासीन अधिकारी : दीपक कुमार, आर. जे. एस.

निय.दां.प्र. संख्या : 04 / 2014

राजस्थान राज्य

**बनाम्**

अमित सोनी पुत्र स्व. श्री पटेल कुमार जाति सोनी उम्र 35 वर्ष निवासी टी–4–बी रिद्धि सिद्धी सैकिंड पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर।

–अभियुक्त

<u>अपराध अंतर्गत धारा 498–ए, 323 भा.दं.सं.</u>

उपस्थिति :

1– सहायक लोक अभियोजक– राज्य पक्ष से

2– श्री मनोज कुमार शर्मा, अधिवक्ता– अभियुक्त पक्ष से

न्यायालय द्वारा :

**:: <u>निर्णय</u> ::** **दिनांक : 29.08.2014**

1– आरक्षी केन्द्र महिला, श्रीगंगानगर की ओर से जरिये सहायक लोक अभियोजक अभियुक्त अमित सोनी के विरूद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए, 323 के अंतर्गत आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया जाने पर प्रकरण नियमित दांडिक दर्ज रजिस्टर किया गया।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 09.12.2013 को परिवादिया सुमन सोनी ने एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रदर्श पी 2 इस आशय की पेश की कि परिवादिया की शादी करीब 4 वर्ष पूर्व अमित सोनी के साथ हिन्दु रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी। परिवादिया के एक बच्चा ईशान उम्र करीब 3 साल का है। दिनांक 03.12.2013 को परिवादिया का अपने पति के साथ झगड़ा हुआ और उसको अकेला पाकर उसका जेठ रोहित जोड़ा व राजेन्द्र सोनी धमकाने लगे व कहने लगे कि बच्च को लेकर चली जाओ व जान से मारने की धमकियां देने लगे। इससे पूर्व कई पंचायतें हुई परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। पति द्वारा मारपीट की गई जिसके निशान अब तक मौजूद हैं। परिवादिया का सामान हड़प कर लिया व हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं। परिवादिया अपने बच्चे की देखरेख करना चाहती है परन्तु

परिवादिया का पति खर्चा नहीं देता है और परिवादिया स्वयं ही सिलाई का कार्य कर घर का खर्चा वहन करती है व बच्चे का भी पालन पोषण करती है आदि। जिस प्रार्थना पत्र को पुलिस थाना महिला, श्रीगंगानगर में भिजवाया गया, जहाँ पर इसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— दोनों पक्षों की आरोप पर बहस सुनने के पश्चात् अभियुक्त को धारा 498—ए, 323 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उसने सुन व समझकर इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4— साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर परिवादिया सुमन जोड़ा ने अभियुक्त के साथ भा.दं.सं. की धारा 323 में राजीनामा पेश किया, जो राजीनामा सत्यापित किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

5— शेष आरोपित आरोप को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में बलकौर सिंह पी.डब्ल्यू. 1, परिवादिया सुमन जोड़ा पी.डब्ल्यू. 2, कैलाश सोनी पी.डब्ल्यू. 3 की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गई। पक्षकारान में राजीनामा होने व परिवादिया स्वयं व अन्य परीक्षित गवाहान के पक्षद्रोही हो जाने के कारण से एपीपी ने शेष साक्ष्य को तर्क कर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की।

6— परीक्षित गवाहान के पक्षद्रोही हो जाने से अभियुक्त को धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित नहीं किया गया।

7— बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8— इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि —

''आया अभियुक्त का विवाह दिनांक 09.12.2013 से करीब 4 वर्ष पूर्व परिवादिया सुमन सोनी के साथ होने के उपरांत अभियुक्त ने परिवादिया के पति होते हुए उसके साथ जानबूझकर ऐसा आचरण किया, जिसके द्वारा वह आत्महत्या करने हेतु या उसके जीवन या अवयव या स्वास्थ्य के प्रति घोर उपहति कारित करने हेतु ढकेला जाना सम्भाव्य हो?''

9— उक्त अवधारणीय बिन्दु के क्रम में सहायक लोक अभियोजक ने

अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित किया जाना व्यक्त कर अभियुक्त को दोषी करार देने का निवेदन किया। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिया कि पक्षकारान में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत राजीनामा पेश होकर तस्दीक हो चुका है। शेष आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 498—ए भा.दं.सं. परीक्षित साक्षीगण के पक्षद्रोही घोषित हो जाने से प्रमाणित नहीं होना व्यक्त कर अभियुक्त को शेष आरोप से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10— हस्तगत मामले में यह एक स्वीकृत स्थिति है कि पक्षकारान में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत राजीनामा पेश होकर तस्दीक हो चुका है। अतः प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन शेष बचे आरोप अंतर्गत धारा 498—ए भा.दं.सं. की हद तक किया जाना है। इस संबंध में परिवादिया सुमन जोड़ा पी. डब्ल्यू. 2 ने कथन किया है कि शादी के बाद उसके पति ने उससे कभी भी दहेज मांग नहीं की। दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट व तंग परेशान नहीं किया। यह पक्षद्रोही घोषित हुई है और अपने द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी 2 में अंकित तथ्यों की लेशमात्र भी पुष्टि नहीं करती है व एपीपी द्वारा जिरह करने पर कथन किया कि उसका अपने पति के साथ मामूली मनमुटाव हो गया था, इस कारण उसने लोगों के बहकावे में आकर परिवाद प्रदर्श पी 2 एसपी साहब को दिया था। इसी क्रम में परीक्षित गवाहान बलकौर सिंह पी. डब्ल्यू. 1 व कैलाश सोनी पी.डब्ल्यू. 3, दोनों पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और इन दोनों गवाहान ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त ने परिवादिया को शादी के पश्चात् दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया हो। एपीपी द्वारा जिरह करने पर इन दोनों गवाहान ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि अमित ने अपनी पत्नी से दहेज में रूपयों की मांग और रूपयों की मांग को लेकर तंग परेशान करता हो। इस प्रकार परीक्षित किसी भी गवाह ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप के संबंध में लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं दी है।

11— अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध शेष रहे आरोप को साबित करने में असमर्थ रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त अमित सोनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498—ए के आरोप से साक्ष्य के अभाव में तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के आरोप से बरूए राजीनामा

दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## :: आदेश ::

अतः अभियुक्त अमित सोनी पुत्र स्व. श्री पटेल कुमार जाति सोनी उम्र 35 वर्ष निवासी टी—4—बी रिद्धि सिद्धी सैकिंड पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर को धारा 323 भारतीय दंड संहिता के आरोप से जरिये राजीनामा व धारा 498—ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त न्यायालय से जमानत पर है, उसके जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (क) के उपबंध के अनुसार स्वयं का पॉच हजार रूपये का बंध पत्र एवं इसी राशि की प्रतिभू इस न्यायालय की संतुष्टि की पेश करे।

(दीपक कुमार)

निर्णय व आदेश आज दिनांक 29.08.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपक कुमार)